

# कार्यालय, रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद

(M.P. PARAMEDICAL COUNCIL)

(A Statutory Body of the Government of Madhya Pradesh)

तृतीय तल, प्लेटिनम प्लाजा, माता मन्दिर रोड, भोपाल

क्र. / F-1532 / कालेज / / 2021, भोपाल, दिनांक / 01/2021

BY SPEED POST

प्रति,

अधिष्ठाता,  
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय,  
जिला-शिवपुरी (म.प्र.)

विषय : पैरामेडिकल पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु मार्गदर्शन देने बाबत ।  
सन्दर्भ : संचालनालय से प्राप्त पत्र दिनांक 23/01/2021 के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके महाविद्यालय को प्रथम बार सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रमों के संचालन की अनुमति प्रदान की गई है जारी अनुमति आदेश के सम्बन्ध में आपके द्वारा चाही गई निम्न बिन्दुओं की जानकारी इस प्रकार है :-

1. प्रवेश प्रक्रिया का स्वरूप मेरिट के आधार पर किया जाना है ।
2. छात्रों के प्रवेश हेतु न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक सामान्य वर्ग के लिये तथा 33 प्रतिशत अंक आरक्षित वर्ग के लिये होंगे । स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में चलाये जा रहे पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश बाबत परिषद द्वारा राज्य-शासन के पूर्व अनुमोदन से कुल स्वीकृत सीटों पर अधिकतम 10 प्रतिशत कोटा विभागीय कर्मचारियों के लिये आरक्षित किया गया है ।
3. छात्रों के प्रवेश हेतु जारी किये जाने वाली विज्ञप्ति आपके स्तर से स्वयं जारी की जानी है ।
4. पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों का वार्षिक शिक्षण शुल्क का विवरण पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है ।
5. अन्य आवश्यक जानकारी एवं मार्गदर्शन से परिषद द्वारा आपके महाविद्यालय को समय-समय पर सूचित कर दिया जावेगा ।
6. दूरभाष पर चर्चानुसार आयु सीमा के सम्बन्ध में लेख है कि परिषद द्वारा सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है परन्तु डिग्री, डिप्लोमा में प्रवेश हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय के प्रवेश नियमों का ही पालन किया जावेगा ।
7. आरक्षित वर्ग (SC, ST, OBC) में अध्ययनरत छात्र / छात्राओं का पूर्ण शिक्षण शुल्क सम्बन्धित विभाग द्वारा छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान किया जाता है ।  
अवगत होंगे ।

रजिस्ट्रार

म0प्र0 सह-चिकित्सीय परिषद  
भोपाल, दिनांक 30/01/2021

पृ. क्र. / F-1532 / कालेज / 469 / 2021,  
प्रतिलिपि,

1. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल ।
2. आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर (म.प्र.) ।
3. संचालक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।

रजिस्ट्रार

म0प्र0 सह-चिकित्सीय परिषद

Web site :- [www.mppmc.ac.in](http://www.mppmc.ac.in)

Services us :- <https://paramedical.mponline.gov.in>

Email :- [registrarmpparamedicalcouncil@gmail.com](mailto:registrarmpparamedicalcouncil@gmail.com)

☎ 0755-2775768

## शुल्क-

शासकीय, स्वशासी एवं निजी क्षेत्र की समस्त संस्थायें निम्नानुसार शिक्षण शुल्क प्राप्त कर सकेगी -

पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के लिये निर्धारित अधिकतम शिक्षण एवम् अन्य शुल्क

शासकीय, स्वशासी एवम् निजी क्षेत्र की समस्त संस्थायें निम्नानुसार शिक्षण शुल्क प्राप्त कर सकेगी :-

(क)

स.क.	पाठ्यक्रम	100 प्रतिशत स्टेट कोटा
01	डिग्री (3 से 4 वर्षीय)	52,600-00
02	डिप्लोमा (2 वर्षीय)	29,530-00
03	प्रमाण-पत्र (एक वर्षीय)	18,000-00

(ख)

स.क.	मद विवरण	अधिकतम शुल्क
01	सुरक्षा निधि (वापसी योग्य)	7,500-00
02	खेल कूद मनोरंजन शुल्क	1,500-00
03	आंतरिक मूल्यांकन शुल्क	1,500-00
04	प्रयोगशाला एवम् सामग्री शुल्क	1,500-00
	कुल योग	12,000-00

कुल शुल्क (क) + (ख) (प्रथम वर्ष)

स.क.	पाठ्यक्रम	100 प्रतिशत स्टेट कोटा
01	डिग्री (3 से 4 वर्षीय)	64,600-00
02	डिप्लोमा (2 वर्षीय)	41,530-00
03	प्रमाण-पत्र (एक वर्षीय)	30,000-00

कुल शुल्क (क) + (ख) (अन्य वर्षों में)

स.क.	पाठ्यक्रम	100 प्रतिशत स्टेट कोटा
01	डिग्री (3 से 4 वर्षीय)	57,100-00
02	डिप्लोमा (2 वर्षीय)	34,030-00

\* छात्रावास शुल्क अलग से देय होगा ।

स्नातकोत्तर पैरामेडिकल पाठ्यक्रम के लिये निम्नानुसार अधिकतम शिक्षण शुल्क एवम् अन्य शुल्कों का निर्धारण किया गया है :-

(क)

स.क.	पाठ्यक्रम	शिक्षण शुल्क
01	एम.पी.टी. पाठ्यक्रम शिक्षण शुल्क प्रत्येक वर्ष	80,350-00

कुल (क) (ख) (प्रथम वर्ष में)

स.क.	मद विवरण	अधिकतम शुल्क.
01	शिक्षण शुल्क	80,350-00
02	सुरक्षा निधि (वापसी योग्य)	7,500-00
03	खेल कूद मनोरंजन शुल्क	2,000-00
04	छात्रावास शुल्क	10,500-00
05	प्रयोगशाला एवम् सामग्री शुल्क	7,500-00
06	आंतरिक मूल्यांकन शुल्क	7,500-00
	कुल योग	1,15,350-00

कुल शुल्क (क) + (ख) (द्वितीय वर्ष)

स.क.	मद विवरण	अधिकतम शुल्क
01	शिक्षण शुल्क	80,350-00
02	खेल कूद मनोरंजन शुल्क	2,000-00
03	छात्रावास शुल्क	10,500-00
04	प्रयोगशाला एवम् सामग्री शुल्क	7,500-00
05	आंतरिक मूल्यांकन शुल्क	7,500-00
	कुल योग	1,07,850-00

  
रजिस्ट्रार

मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद